पत्र संख्या-वि0(27)पे0को0-48/2020 /वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

दीपक आनन्द, भा0प्र0से0,
सचिव(व्यय)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव
सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक-

विषयः- **वित्त विभागीय संकल्प सं0-1206 दिनांक-28.11.2023 के आलोक में एन0पी0एस0 के जगह पुरानी पेंशन योजना अनुमान्य किये जाने के प्रस्ताव में वित्त विभागीय सहमति हेतु जाँच पत्रक के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0-1206 दिनांक-28.11.2023 द्वारा वैसे मामलों में जहाँ एक ही विज्ञापन एवं मेधा सूची के माध्यम से दिनांक-01.09.2005 के पूर्व कतिपय अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा 01.09.2005 के पश्चात कतिपय अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के तहत योगदान किए हैं, एन0पी0एस0 के तहत नियुक्त वैसे कर्मियों को कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया गया है ।

2. उपर्युक्त वित्त विभागीय संकल्प सं0-1206 दिनांक-28.11.2023 के आलोक में प्रशासी विभागों से वित्त विभागीय सहमति हेतु संचिका के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं । लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि प्रस्ताव में तथ्यात्मक स्थिति क्रमबद्ध ढंग से नहीं रखी जा रही है तथा स्पष्ट विभागीय अभिमत का भी गठन नहीं किया जा रहा है । ऐसे में वित्त विभागीय सहमति प्रदान करने में कठिनाई हो रही है । इस कारण इस संदर्भ में एक जाँच पत्रक तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गयी है ताकि सभी तथ्यों को समेकित करते हुए विभागीय अभिमत के साथ संचिका वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जा सके ।

3. वित्त विभागीय संकल्प सं0-1206 दिनांक-28.11.2023 के आलोक में एन0पी0एस0 के जगह पुरानी पेंशन योजना अनुमान्य किये जाने के प्रस्ताव के संदर्भ में जाँच पत्रक की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि जाँच पत्रक के सभी कंडिकाओं को भरते हुए जाँच पत्रक पर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव का हस्ताक्षर/मुहर अंकित करते हुए एतद संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव संचिका के माध्यम से वित्त विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनु0-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-
(दीपक आनन्द)
सचिव(व्यय)

...........2

ज्ञापांक- 298 (वि०) दिनांक- 19-3-2024

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/ परिषद्/ प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/03/24

सचिव(व्यय) ।

19.3.24

वित्त विभागीय संकल्प संख्या–1206, दिनांक–28.11.2023 के आलोक में एन0पी0एस0 के तहत नियुक्त कर्मी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने से संबंधित विकल्प प्रदान करने से संबंधित जाँच पत्रक

1.	आवेदक का नाम	
2.	वर्तमान पद नाम (विभाग सहित)	
3.	प्रथम योगदान की तिथि	
4.	रिक्ति एवं विज्ञापन, दिनांक–01.09.2005 से पूर्व का है अथवा नहीं, (विज्ञापन संख्या–अंकित किया जाय)	
5.	चयन प्रक्रिया दिनांक–01.09.2005 से पूर्व संपन्न हुई है या नहीं, (चयन प्रक्रिया कब संपन्न हुई है, अंकित किया जाय)	
6.	(i) मेधासूची से कतिपय अभ्यर्थी दिनांक–01.09.2005 से पूर्व वास्तविक योगदान समर्पित कर चुके है अथवा नहीं (साक्ष्य सहित) । (ii) क्या उन्हें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है (साक्ष्य सहित)?	
7.	क्या दिनांक–01.09.2005 के पश्चात् नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में विलम्ब प्रशासनिक कारणों से अथवा न्यायिक वाद के कारण हुआ है (तथ्य सहित)	
8.	पुरानी पेंशन योजना का विकल्प से संबंधित आवेदन कालबाधित है या नहीं	
9.	आवेदक को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जा सकता है अथवा नहीं से संबंधित विभागीय मंतव्य	

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
प्रशासी विभाग का हस्ताक्षर एवं मुहर